रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, बीरवार, अगस्त 1, 1996/श्रावण 10, 1918
No. 238] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 1996/SRAVANA 10, 1918

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996

सा. का. नि. 344(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रधान निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूवपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
प्रधान निजी सचिव	1* (1996)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अनुसचिवीय	रु. 3000-100 3500-125-4500	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा	रु. 2000-60-2300-द. रो.-75-3200-100-3500 के वेतनमान में ऐसा निजी सचिव, जिसने उस श्रेणी में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— (i) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण या अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकरण का कोई उपाध्यक्ष—अध्यक्ष (ii) सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा —सदस्य (iii) रजिस्ट्रार, प्रधान शाखा या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. ए.-12011/4/95-ए. टी.]

सी. एल. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 1996

G.S.R. 344(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Private Secretary in the Central Administrative Tribunal, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classified and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications :—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 o 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications :—No person,—(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concesssions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-sericemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Principal Private Secretary	1* (1996) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted. Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125-4500	Selection

6	7	8	9	10
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
Method of recruitment Whether by direct rectt. or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation	Comosition of D.P.C.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.

11	12	13	14
By Promotion	Private Secretary in the scale of pay of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 with atleast 8 years regular service in the grade.	Group 'A' DPC consisting of (i) Chairman, Central Administrative Tribunal or a Vice-Chairman of the Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal-Chairman. (ii) Member, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman—Member. (iii) Registrar, Principal Bench or any other Registrar/Jt. Registrar to be nominated by the Chairman—Member.	Not applicable

[No. A-12011/4/95-AT]
C.L. SHARMA, Under Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996